

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

गिरसल शरवर्क

| दिन  | किस्म मुकदमा | तारीख दायरा   | तारीख फैसला    | तारीख दाखिल दफतर | तादाद किता | कोर्ट फीस | दि0<br>नि0 |
|------|--------------|---------------|----------------|------------------|------------|-----------|------------|
| 2026 | दावा         | 18.03<br>2026 | 18.03.<br>2026 | 18.03.2026       | 3          |           |            |

उनवान पत्रावली

RGB ब राजस्थान सरकार जरिये  
शाखा हेमडा ना तहसीलदार सुनेल  
म !

धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.अर.एक्ट

वादी - RGB शाखा हेमडा प्रतिवादी - परोकार सरकार जरिये तहसीलदार सुनेल

FORM No. III

फर्द अहकाम (नियम)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

प्रकरण अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट/सहपठित धारा 136 एल.अर.एक्ट.

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज  | नं. व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुये |
|------------|---|---|
| 18.03.2026 | RGB शाखा द्वारा उपस्थित होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही रहन के नोट में बैंक नाम की अशुद्धि/त्रुटी BRKGB के स्थान पर RGB को दुरुस्त करने बाबत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट/सहपठित धारा 136 एल.अर.एक्ट में पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। निर्धारित प्रारूप में पटवारी/भूअभिलेख निरीक्षक एवं प्रतिवादी तहसीलदार से प्रकरण में जांच रिपोर्ट तलब की गई। उभयपक्ष की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा पेश भारत सरकार के राजपत्र से दिनांक 07.04.2025 के आधार पर जमाबंदी खातो में दर्ज रहन के नोट में BRKGB के स्थान पर RGB को दुरुस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर पृथक से आदेश जारी हो। संबंधित तहसीलदार को पालना हेतु आदेश की प्रति भेजी जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर रजिस्टर में खारजा लगाया जावे। |   |



(दिनेश कुमार मीना)  
सहायक लैण्ड रिकार्ड अधिकारी  
एवं सहायक अधिकारी, पिडावा  
पिडावा, जिला झालावाड (राज0)

